तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील डिक्री / टीए / 3889 / 2018 / अलवर देवी सिंह बनाम रूहानी	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

खंडपीठ (मु0 जयपुर)
श्री गणेश कुमार, सदस्य
श्री भवानी सिंह पालावत, सदस्य

उपस्थितिः–
श्री विजय सिंह राठौड, विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी।
श्री विपुल जैन, विद्वान अधिवक्ता रैस्पोडेन्ट संख्या– 2 व 3

निर्णय

दिनांक 20–02–2024

यह अपील अन्तर्गत धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम राजस्व पारित निर्णय दिनांक 09–03–2018 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है वादी अपीलान्ट ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत् 1 बीघा 4 बिस्वा, 27 रकबा 1 बीघा आराजी खसरा नं० 194 रकबा 9 बिस्वा, 28 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा व 17 / 1 रकबा 15 बिस्वा वाके ग्राम मारकपुर तहसील लक्ष्मणगढ में स्थित है जिसका वादी 1 / 3 हिस्से का खातेदार काश्तकार है। विवादित आराजी अपीलान्ट वादी व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 व बदले के कब्जे काश्त की खातेदारी की थी । बदले के जीवनकाल में ही रेस्पोडेन्ट संख्या 3 लीली ने रेस्पोडेन्ट संख्या 2 सुगनी से घरवासा कर लिया था तथा उसने सन्तोष को जन्म दिया । बदले का स्वर्गवास 05–01–2002 में हो गया था । जिसका क्रियाक्रम भी वादी ने किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 के मन में बेईमानी व बदयान्ती आ गई। जिससे बदले की विरासत का इन्तकाल रेस्पोडेन्ट संख्या 3 लीली अपने नाम दर्ज कराना चाहती है जबकि बदले की आराजी में उसका कोई हक व हिस्सा घरवासा करने के बाद नही रह जाता है । इसलिए वादी व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 विवादित आराजी 1 / 3–1 / 3 हिस्से के खातेदार काश्तकार है। विचारण न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट को तलब करने के बाद रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने अपना जवाब दावा प्रस्तुत किया तथा उसके बाद न्यायालय में उपस्थित नही हुए। जिस पर उनके एकतरफा कार्यवाही की गई। अपीलान्ट वादी के साक्ष्य व बहस सुनकर विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 05–10–2011 को वादी अपीलान्ट का वाद गलत तरीके से खारिज कर दिया गया। तत्पश्चात् मिन अपीलान्ट ने अपील संख्या 21 / 2012 प्रथम अपीलीय न्यायालय में प्रस्तुत की। जिस अपील को भी गलत तरीके से दिनांक 09–03–2018 को खारिज कर दिया गया । इसी निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थी ने यह द्वितीय अपील मंडल हाजा के समक्ष प्रस्तुत की।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील डिक्री / टीए / 3889 / 2018 / अलवर देवी सिंह बनाम रूहानी	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी का तर्क है की देवी सिंह, रूहानी, सुगनी और बदले चार भाई थे। बदले बीमार रहता था। लीली बदले के जीवन काल में ही सुगनी से घरवासा कर लिया था और दिनांक 05–01–2002 को बदले का देहांत हो गया था उसके पश्चात् लिली ने दिनांक 06–10–2004 को एक पुत्री संतोष, दिनांक 14–11–2009 को एक पुत्र, दिनांक 06–08–2011 को पुत्री संतरा का जन्म हुआ था। संतोष के जन्म प्रमाण पत्र में पिता का नाम सुगनी और माता का नाम लीली दर्ज है इससे यह स्पष्ट है कि उक्त संतान सुगनी और लिली की है और घरवासा पहले कर लिया था। बदले की मृत्यु पर शेष तीन भाइयों में 1 / 3–1 / 3 हिस्सा जाएगा। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय और विचारण न्यायालय द्वारा इस और ध्यान नहीं दिया गया इसलिए अपील स्वीकार की जाकर दावा डिक्री किया जाए।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोंडेंट का तर्क है कि यह तथ्य स्वीकृत है कि लीली बदले की वैध पत्नी है। लीली ने बदले के जीवन काल में कोई घरवासा नहीं किया विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा वादी का एकपक्षीय दावा खारिज किया गया है लीली ने सुगनी से घरवासा कर लिया हो ऐसा कोई साक्ष्य अभिलेख पर नहीं है और बदले की मृत्यु होते ही उसकी समस्त संपत्ति लिली में निहित हो गई। बाद की संतान उत्पन्न होने से बदले की विरासत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और प्रत्येक भाई का 1 / 4–1 / 4 हिस्सा ही रहेगा। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज की जाए।

सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

खंडपीठ के समक्ष विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में कोई अवैधता है और क्या आदेश अपास्त किए जाने योग्य है?

प्रकरण में अपील में तथ्यों के अनुसार यह स्वीकृत तथ्य है कि देवी सिंह, रूहानी, सुगनी और बदले चारों भाई हैं और बदले की पत्नी लीली है। विद्वान विचारण न्यायालय एवं प्रथम अपील न्यायालय द्वारा लिली द्वारा बदले के जीवन काल में सुगनी से घरवासा किया गया हो ऐसा कोई तथ्य साबित नहीं माना है और इस तथ्य पर दोनों न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष है। विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली में फोटोकॉपी दस्तावेज जच्चा–बच्चा रक्षा कार्ड संतोष के नाम का है जिनकी जन्म तिथि 06–10–2004 है और मृत्यु प्रमाण पत्र बदले दिनांक 05–01–2002 का है। अन्य कोई दस्तावेज घरवासा करने के संबंध में नहीं है। इन दोनों दस्तावेजों की प्रथम तो फोटोकॉपी है, साक्ष्य में प्रदर्शित नहीं हुए हैं और इन दस्तावेजों के आधार पर लीली ने सुगनी से घरवासा किया हो प्रकट

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील डिक्री / टीए / 3889 / 2018 / अलवर देवी सिंह बनाम रूहानी	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	नहीं होता है। चारों भाइयों के नाम संपत्ति होने से प्रत्येक का 1 / 4–1 / 4 हिस्सा बनता है और बदले की मृत्यु के बाद उसकी विरासत का नामांतकरण उसकी विवाहिता पत्नी लीली के नाम ही बनता है। वादी का कोई मामला नहीं बनता है। विद्वान विचारण न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा घोषणा और स्थाई व्यादेश का दावा खारिज किया है जो मंडल हाजा की राय में विधिसम्मत है और उसमें हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत यह द्वितीय अपील सरहीन होने से खारिज की जाने योग्य है। परिणामतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील 3889 / 2018 बउनवानी देवी सिंह बनाम रूहाणी खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। (भवानी सिंह पालावत) सदस्य (गणेश कुमार) सदस्य	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील डिक्री / टीए / 3889 / 2018 / अलवर देवी सिंह बनाम रूहानी	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए